

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-606 / 2010

संस्थित दिनांक-11.08.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखंड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

टीमनलाल पिता नीलकंठ चौहान, उम्र 34 वर्ष,

निवासी-ग्राम भण्डारपुर, थाना मलाजखंड,

जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-09/07/2014 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-29.06.2010 को समय 21:50 बजे ग्राम मलाजखंड आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत वाहन हीरो होण्डा क्रमांक-एम.पी.50/एम.ए.1565 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक सुखीराम को ठोस मारकर मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक-29.06.2010 को समय 21:50 बजे ग्राम मलाजखंड में हीरो होण्डा क्रमांक-एम.पी.50/एम.ए.1565 के चालक द्वारा वाहन को तेज गति से चलाकर मृतक सुखीराम को ठोस मार दिया, जिसकी ईलाज के दौरान एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखंड में मृत्यु हो गई। उक्त घटना की लिखित सूचना एम.सी.पी. अस्पताल द्वारा थाना मलाजखंड में दिये जाने पर पुलिस द्वारा मृतक सुखीराम की मृत्यु के संबंध में मार्ग इंटीमेशन क्रमांक-24/10 तैयार कर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-55/2010, धारा-304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित से वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. आरोपी को भा.द.वि. की धारा-304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-29.06.2010 को समय 21:50 बजे ग्राम मलाजखंड आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम. पी.50/एम.ए.1565 हीरो होण्डा मोटरसाइकिल को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक सुखीराम को ठोस मारकर उसकी की कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5. डाक्टर आर.के.बाला (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना दिनांक को मलाजखंड कांपर अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेण्डेंट के पर पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत सुखीराम को दुर्घटना के पश्चात् गंभीर परिस्थिति में इलाज हेतु उसके अस्पताल लाया गया था। इमरजेंसी ईलाज के पश्चात् सुखीराम की मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना उसने थाना मलाजखंड में दी थी, जो प्रदर्श पी-10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने दुर्घटना में मृतक सुखीराम की मृत्यु होने की सूचना देने के संबंध में सूचनाकर्ता के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन किया है।

6- कैलाशदास (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह मृतक सुखीराम को जानता था, जो सिफ्ट इंचार्ज था। उक्त घटना 2-3 महिने पहले रात 10 बजे की है। वह अपनी सायकल से अपनी ड्यूटी के लिए प्लांट जा रहा था। घटना वॉटर ट्रिटमेंट और ए.डी.एम. बिल्डिंग के पास की है, उसने देखा कि उस समय बहुत जोर से आवाज आयी और प्रार्थी और आरोपी दोनों गिरे हुए थे, उसने चिल्लाया एम्बुलेंस लाओ, दोनों को गाड़ी से मलाजखंड अस्पताल लेकर गये थे। उसने आरोपी की मोटरसाइकिल का नम्बर तथा वाहन को किस तरह से चला रहा था, नहीं देख पाया था। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि आगे था इसलिए नहीं देख पाया। उक्त दुर्घटना में सुखीराम चन्द्रवंशी की मौत हो गयी थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाकर मोटरसाइकिल से सुखीराम को ठोस मारा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार

किया है कि दुर्घटना कैसे और किसकी गलती से हुई, उसे जानकारी नहीं है, वह आवाज सुनकर घटना स्थल पर बाद में पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी आरोपी के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

7— प्रदीप (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि घटना के समय प्लांट के रास्ते पर एक स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले की दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक आरोपी और दूसरा सुखीराम था। दुर्घटना कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह घटना स्थल पर बाद में पहुंचा था। उसे अगले दिन पता लगा कि ईलाज के दौरान सुखीराम की मृत्यु हो गई। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना कैसे घटित हुई उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी आरोपी के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

8— सुसरला (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय दो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, वह मौके पर पहुंचा तो उसने घायल सुखीराम को घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा, जिसे अत्यधिक रक्त स्राव हो रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के बाद पहुंचा था और वह दुर्घटना के बाद पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी आरोपी के द्वारा कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— रविन्द्र कुमार (अ.सा.3), नीलम ज्ञानेश्वर (अ.सा.4), नीलकंठ (अ.सा.10) ने अपनी साक्ष्य में कथन किये हैं कि पुलिस ने उनके सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। जप्ती पंचनामा पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने यह नहीं बताया था कि किस कागज पर हस्ताक्षर कराये थे और न ही उसको पढ़कर देखा था। इस प्रकार साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10— मोहनलाल (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक-एम.पी.50/एम.ए.1565 का मैकेनिकल परीक्षण करने और परीक्षण में सामने का हेड लाईट और मास्क टूटा होना बताया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ने इसकी साक्ष्य का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया है। साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था।

11— डाक्टर एल.एन.एस. उईके (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.06.2010 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक लेखेश्वर क्रमांक-823 के द्वारा मृतक सुखीराम के शव को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसने शव का परीक्षण किया, जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण सिंकोपी या शाक अत्यधिक रक्त स्त्राव होने के कारण एवं 3,4,5,6 पसली की हड्डी टूटने के कारण हृदय के फटने से गंभीर किस्म का चोट होने से उसकी मृत्यु होना प्रतीत होता है। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपनी चिकित्सीय अभिमत में इस तथ्य की पुष्टि की है मृतक सुखीराम को दुर्घटना में आयी गम्भीर चोट के कारण मृत्यु कारित हुई थी।

12— अनुसंधानकर्ता राजेन्द्र सिलेवार (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-30.06.2010 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मार्ग क्रमांक-24/10 की जांच के दौरान साक्षी प्रदीप कुमार, कैलाशदास, सुरसला, उमेश कुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही मृतक सुखीराम की मृत्यु का नक्शा पंचायतनामा पंचों के समक्ष विधिवत् कार्यवाही कर प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही मृतक के शव को शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव भेजा था। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल का नजरी नक्शा साक्षी की निशानदेही पर प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 लेखबद्ध किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-55/10, धारा-304(ए) भा.द.वि. के अपराध में विवेचना के दौरान घटना स्थल से हीरो होण्डा क्रमांक-एम.पी.50/एम.ए. 1565 जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया तथा पश्चात् में आरोपी से उक्त वाहन के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाकर, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसकी साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा की गई कार्यवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट होता है। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

13— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी चक्षुदर्शी साक्षीगण ने स्वयं दुर्घटना होते हुए देखे जाने एवं आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाइकिल को

उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाये जाने का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने आरोपी को कथित वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने अथवा घटना में आरोपी की गलती होने की साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षीगण के अलावा जिन साक्षीगण को पेश किया गया है, उन्होंने अपनी साक्ष्य में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है, जिसके आधार पर अभियोजन का मामला आरोपित अपराध के संबंध में प्रमाणित नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि घटना के समय आरोपी की मोटरसाइकिल और मृतक सुखीलाल की टक्कर हो गई थी, जिस कारण मृतक सुखीलाल फौत हो गया। यद्यपि उक्त दुर्घटना में आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी या लापरवाही से चलाये जाने का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही यह प्रमाणित किया गया है कि उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती थी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा उक्त दुर्घटना में उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाये जाने का तथ्य अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी दशा में आरोपी को कथित उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाये जाने के परिणाम स्वरूप मृतक सुखीलाल की मृत्यु कारित किये जाने के अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

14— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने वाहन हीरो होण्डा क्रमांक-एम.पी.50/एम.ए.1565 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक सुखीलाल को ठोस मारकर मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को धारा 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/एम.ए.1565 दस्तावेज के सुपुर्ददार योगेश ठाकरे पिता फगलाल को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट